प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव.

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल.
2. समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
उत्तरांचल.

ग्राम्य विकास शाखा : देहरादून : दिनांकः 17 जनवरी, 2003

महोदय,

श्रीमती वीना जैन, निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : एच–11032 / 1 / 2002 / आर एच दिनांक 18–12–2002 के द्वारा यह अवगत कराया है कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि जो कच्चे आवासों के उच्चीकरण के लिए निर्धारित है का उपयोग कच्चे आवासों के उच्चीकरण या क्रेडिट कम सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण या दोनों में करने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान कर ली गयी है. भारत सरकार द्वारा क्रेडिट कम सब्सिडी के अंतर्गत अब कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी तथा इस वित्तीय वर्ष 2002–03 में कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है तथा भारत सरकार को क्रेडिट कम सब्सिडी में धनराशि अवमुक्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव प्रेषित करने की अब आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 2002–03 में आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि

जो कच्चे आवासों का उच्चीकरण तथा क्रेडिट कम सब्सिडी योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों हेतु अनुदान पर व्यय किया जा सकता है. इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें

संलग्न – यथोपरि

भवदीया

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या ग्रा.वि.शा./2003 तद् दिनांक
प्रतिलिपि – आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय, पौड़ी को मय संलग्नक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली– 110001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Veena Jain
Director (RH)
Telefax 2338 1967

D.O. No. H-11032/1/2002- RH December 18, 2002

Dear Shri Chopra,

Please refer to my D.O. letter of even number dated 1.5.2002 intimating district wise allocation of funds for implementation of IAY/ CCSS during the year 2002-03. It was informed that during the current financial year districts have been given flexibility to utilize 20% of their allocation either for upgradation of kutcha houses or for new construction under Credit-cum-Subsidy or both. As such there is no need to submit a separate proposal for release of funds under the Credit-cum-Subsidy Scheme. Even then this Ministry is receiving proposal for release of funds under the Credit-cum-Subsidy for which no separate allocation has been made this year.

It is, therefore, once again requested that the DRDAs may be advised not to send any proposal for release of funds under Credit-cum-Subsidy Scheme. 20% of the funds available under IAY/CCSS can be utilized for the purpose.

With regards

Yours Sincerely,

(Veena Jain)

Shri Sanjeev Chopra
Secretary (RD)
Govt. of Uttaranchal